बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

संकल्प

विषयः- **मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की वर्तमान प्रतीक्षा सूची से छूटे हुए योग्य परिवारों तथा मुजफ्फरपुर जिला के पाँच AES प्रभावित प्रखण्डों के सभी सुयोग्य परिवारों को आवास का लाभ दिये जाने की स्वीकृति के संबंध में।**

'मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना' अन्तर्गत 1 जनवरी 1996 से पूर्व विभिन्न आवास योजनाओं के तहत गुच्छ समूहों/ क्लस्टर में निर्मित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग कोटि के परिवारों के आवास जो वर्तमान में जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं तथा पूर्व से आवास योजना का लाभ प्राप्त रहने के कारण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की पात्रता नहीं रखते हैं, को आवास निर्माण हेतु सहायता राशि प्रदान की जा रही है।

2. राज्य में कई ऐसे आवास विहीन परिवार हैं जिनका नाम प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है। वर्तमान में ऐसे 32 लाख 86 हजार परिवारों का नाम सूचीबद्ध किया गया है।

3. मुजफ्फरपुर जिला के Acute encephalitis syndrome (**AES**) से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों यथा-बोचहाँ, काँटी, मीनापुर, मोतीपुर एवं मुशहरी में भी सभी सुयोग्य आवास विहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाना है।

4. उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न निर्णय लिये गये हैं:-

(क) राज्य के सभी आवास विहीन सुयोग्य परिवारों जिनका नाम अभी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में नहीं है, के लिए निधि उपलब्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु कार्रवाई की जायेगी।

(ख) मुजफ्फरपुर जिला के AES से अत्यधिक प्रभावित पाँच प्रखण्डों यथा-बोचहाँ, काँटी, मीनापुर, मोतीपुर एवं मुशहरी के प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की प्रतीक्षा सूची में छूटे हुए ऐसे सभी सुयोग्य परिवारों को आवास निर्माण की स्वीकृति दी जायेगी।

(ग) इन परिवारों को योजनान्तर्गत आवास निर्माण हेतु सामान्य जिलों में 1.20 लाख (एक लाख बीस हजार) रूपये एवं IAP जिलों में 1.30 लाख (एक लाख तीस हजार) रूपये की सहायता राशि तीन किश्तों में आवास निर्माण की प्रगति के अनुसार दी जायेगी।

(घ) इस योजना पर चालू वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना अंतर्गत उपलब्ध निधि से व्यय किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार आगामी वित्तीय वर्षों में निधि का उपबंध किया जायेगा।

(ङ) लाभुकों के चयन के संबंध में बजट उपबंध के आलोक में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जायेगा।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय ।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

24/1/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. सहित प्रेषित ।

अनुरोध है कि इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कर संकल्प की 500 प्रतियां उपलब्ध करा दी जाय ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/ राज्यपाल के प्रधान सचिव/ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग के आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक 452803 पटना, बिहार 24/01/2020
ग्रा0वि-5/मु0आ0यो0-102-65/2019

प्रतिलिपि - श्री सुनील कुमार, आई0टी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) को सूचनार्थ प्रेषित ।

24/1/2020
सरकार के प्रधान सचिव